*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

संख्या– पर्य०यो०रा०–11/2019 ...../प०वि०

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक: .....

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:– पटना जिलान्तर्गत कम्युनिटी हॉल, मालसलामी, पटना सिटी के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 88,44,00,000/– (अठासी करोड़ चौवालिस लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क– कम्युनिटी हॉल, मालसलामी, पटना सिटी के निर्माण के प्राक्कलन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह –विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 9846 दिनांक 11.11.19 द्वारा 88,44,00,000/–(अठासी करोड चौवालिस लाख) रूपये मात्र का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित उपलब्ध कराया गया है (प्राक्कलन की प्रति संलग्न)। प्रस्तावित योजना में Stilt + 6(7 storey) भवन का निर्माण किया जायेगा। योजना को आगामी 24 माह में पूरा कर लिये जाने की संभावना है। इस योजना का कार्यकारी एजेंसी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे। कार्यकारी एजेंसी योजना का कार्यान्वयन ससमय और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

ख– स्वीकृत योजना के राशि का वहन राज्य स्कीम मद से पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग से राशि की प्राप्त अधियाचना के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय वर्ष में विमुक्त किया जायेगा। भवन निर्माण विभाग द्वारा योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर इसके संचालन एवं रख–रखाव हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना को हस्तांतरित कर दी जायेगी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा इसका उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जायेगा एवं इसका रख–रखाव एवं संचालन हेतु अग्रिम कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जायेगा। इस स्कीम के पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, संबंधित वास्तुविद् द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह किया जायेगा। योजना में हुए प्रगति से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन से वे उच्च स्तर पर अवगत करायेंगे।

ग– तद्नुसार पटना जिलान्तर्गत कम्युनिटी हॉल, मालसलामी, पटना सिटी के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 88,44,00,000/–(अठासी करोड़ चौवालिस लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

घ– योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त की जाने वाली राशि पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्कीम मद से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य शीर्ष 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01–पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष–101–पर्यटक केन्द्र, उप शीर्ष–0104 – पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– 46–5452011010104 विषय शीर्ष– 5301–मुख्य निर्माण कार्य से प्रत्यर्पण किया जायेगा।

ङ– प्रत्यार्पित राशि का भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के मुख्य शीर्ष– 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, उप शीर्ष– 0103– पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण एवं जिर्णोद्धार एवं विपत्र कोड–03–5452011010103, विषय शीर्ष– 5301– मुख्य निर्माण कार्य में बजटीय उपबंध कराया जायेगा। राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी।

च– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों को अनुपालन किया जायेगा।

3. योजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा तथा वे योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अपनी कार्य योजना से विभाग को अवगत करायेगें। उनके द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजना का विडियोग्राफ/फोटोग्राफ के साथ अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना पूर्ण होने के उपरान्त व्यय की गयी राशि का उपयोगिता / पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगर कोई राशि उनके पास अधिशेष रह जाती है, तो उसे वापस किया जायेगा।
6. योजना के विभिन्न स्तरों पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य एजेंसी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सक्षम प्राधिकार से कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. संबंधित वास्तुविद (अगर उनकी सेवा ली गयी है) से भी कार्य एजेन्सी एक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेगें कि "यह कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा निर्मित संरचना पूरी तरह स्वीकृत योजना एवं अनुमोदित डिजाईन के अनुरुप है"।
8. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को भेजा जायेगा।
9. योजना के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लोक वित्त समिति का दिनांक– 24.01.2020 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है। तत्संबंधी कार्यवाही ज्ञापांक– 50 लो०वि० / यो०वि०, पटना दिनांक– 24.01.2020 योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्गत किया गया है।
10. भूमि पर प्रस्तावित संरचना के निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने एवं कार्य प्रारंभ कराये जाने पर सहमति परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दी गयी है। भूमि हस्तानांतरण के बिन्दु पर सक्षम प्राधिकार का निर्णय प्राप्त करने की कार्रवाई पर्यटन विभाग द्वारा अलग से की जायेगी।
11. योजना के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पर्यटन विभाग के संलेख ज्ञापांक–384 दिनांक 15.02.2020 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2020 में मद संख्या–14 के रूप में सम्मिलित किया गया। मंत्रिपरिषद् द्वारा पटना जिलान्तर्गत कम्युनिटी हॉल, मालसलामी, पटना सिटी के निर्माण हेतु प्रावकलित राशि 88,44,00,000 /– (अठासी करोड़ चौवालिस लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो संचिका संख्या– पर्य०यो०रा०–11 / 2019 के पृष्ठ–40 / टि० पर वर्णित है।
12. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पर्य०यो०रा०–11 / 2019 के पृष्ट 45 / टि० पर दिनांक 27.02.2020 को प्राप्त है।
13. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,

ह० /–
(प्रदीप कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – पर्य०यो०रा०–11 / 2019 .... / प0वि0 पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० /–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक – पर्य०यो०रा०–11 / 2019 ......515...... / प0वि0 पटना, दिनांक 28/02/2020
प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / माननीय मंत्री पर्यटन के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, पर्यटन के आप्त सचिव, बिहार, पटना / निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक / मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव / अपर सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना / विधायी शाखा / लेखा शाखा, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव